

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-2658 / 2011 / हनुमानगढ़

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-बी, हनुमानगढ़।

...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स प्रदीप कुमार, हितेश कुमार,

पीलीबंगा, हनुमानगढ़।

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

श्री एस.एम. पेडीवाल

अभिभाषक

....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 147/आरवैट/हनुमानगढ़/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 83 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-बी, हनुमानगढ़ (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2010 में आरोपित रिवर्स कर राशि रुपये 4,21,286/- एवं परचेज टैक्स राशि रुपये 45,472/- को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2007-08 के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट/विवरणियां प्रस्तुत की। जिसके अनुसार कुल टर्न ओवर 5,31,16,990/- रुपये, कर मुक्त बिक्री 1,27,34,100/- रुपये, राज्य के भीतर कर योग्य बिक्री 3,62,10,619/- रुपये व अंतर्राज्यीय बिक्री 41,72,261/-रुपये थी। व्यवहारी निर्माता राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से नरमा, कपास एवं बिनौला की खरीद की जाकर इसे कच्चे माल में प्रयुक्त करते हुए रूई, बिनौला, तेल तथा खल का विनिर्माण कर विक्रय किया जाता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के अंतर्गत राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से 3,47,77,607/- रुपये का कर योग्य नरमा, कपास एवं बिनौला की खरीद की

जाकर खरीदशुदा उक्त समस्त नरमा, कपास एवं बिनौला पर पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया। सशक्त अधिकारी ने पाया कि व्यवहारी द्वारा उपरोक्त कच्चे माल को प्रयुक्त करते हुए विनिर्मित माल में से अनुपातिक रूप से खल का भी निर्माण किया है जो कि राज्य में कर मुक्त है। अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अधीन कर योग्य माल के निर्माण के रूप में प्रयुक्त हुए कच्चे माल की खरीद पर चुकाये गये वैट राशि का दावा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है जबकि फर्म द्वारा आनुपातिक रूप से खल निर्माण में प्रयुक्त बिनौला खरीद पर चुकाये गये वैट राशि का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है। नरमा, कपास का निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त करने पर वजनानुसार लगभग 35 प्रतिशत रूई, 10 प्रतिशत तेल एवं 53 प्रतिशत खल का भी निर्माण होता है वजनानुसार 53 प्रतिशत उत्पादित माल कर मुक्त होने के कारण इसकी कीमत पर वैट का इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं है। इस संबंध में व्यवहारी को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। व्यवहारी ने जवाब में कहा कि कर मुक्त माल खल मेन प्रोसेसिंग का बाई प्रोडक्ट है। आई.टी.सी. कच्चे माल की खरीद पर ली गई है जो विधिसम्मत है। सशक्त अधिकारी ने अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.03.2010 में यह ठहराया कि अधिनियम की धारा 18(1)(ई) के अनुसार व्यवहारी विनिर्मित माल कर योग्य एवं कर मुक्त पर अनुपात के आधार पर आई.टी.सी. ले सकता है। व्यवहारी ने 3,47,77,607/- रुपये के नरमा, कपास एवं बिनौला की खरीद की। व्यवहारी के यील्ड चार्ट के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में 12,603 क्विंटल खल का निर्माण हुआ जिसका मूल्य राशि रुपये 1,16,68,934/- है। इस उत्पादित माल के मूल्य को पंजीकृत एवं अपंजीकृत के क्रय अनुपात में बांटा जाकर 1,05,32,141/- रुपये पर 4 प्रतिशत की दर से राशि रुपये 4,21,286/- का इनपुट टैक्स अस्वीकार करते हुए रिवर्स किया गया तथा राशि रुपये 11,36,793/- पर 4 प्रतिशत की दर से धारा 4(2) के अंतर्गत क्रय कर राशि रुपये 45,472/- आरोपित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उपरोक्त आदेश दिनांक 29.03.2010 के विरुद्ध व्यवसाई द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर के समक्ष अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 24.02.2011 द्वारा अपील इस आधार पर स्वीकार की गई है कि इसके तथ्य माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचना, श्रीगंगानगर बनाम मै. दुर्गेश्वरी फूड्स प्रा. लि. श्रीगंगानगर (2009) 23 टैक्स

अपडेट 360 (माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्री गंगानगर की अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2009) में पारित निर्णय के समान है जिसमें कर मुक्त सह उत्पाद "चौकर" के निर्माण में गेहू का प्रयुक्त होना मानकर आई.टी.सी. स्वीकार किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध राजस्व द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के समानान्तर प्रकरण (माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्री गंगानगर की अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2009) के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत सेल्स टैक्स निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वकार करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टांत (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अभिनिर्णय में वैट अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहू से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि में नरमा, कपास की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल खल की बिक्री पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए इसका रिवर्स टैक्स व क्रय कर आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। अपीलीय अधिकारी ने माननीय कर बोर्ड के जिस निर्णय को आधार मानकर अपील स्वीकार की है वह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 08.12.2011 से अपास्त किया जा चुका है। उक्त कथन के साथ उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. अपीलार्थी की ओर से श्री एस. एम. पेडीवाल ने उपस्थित होकर बहस करते हुए बताया कि व्यवहारी द्वारा रूई एवं बिनौला तेल का मुख्य उत्पाद किया जाता है तथा इस निर्माण प्रक्रिया से खल सह उत्पाद के रूप में निर्मित होती है

जो कर मुक्त है जिसके कच्चे माल पर इनपुट टैक्स अधिनियम के अंतर्गत देय होना चाहिए। खल बिनौला बाई प्रोडक्ट है जिसके रॉ मैटेरियल पर चुकाया गया आगत कर समायोजन योग्य होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावें। इन्होंने यह भी कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस. बी. सिविल (वैट) रिवीजन पिटिशन नंबर 47/2014 में स्थगन आदेश पारित किया गया है जिसके तथ्य इस प्रकरण के समान है व इस प्रकार प्रकरण अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर विचाराधीन है कि माननीय अपैक्स कोर्ट का Commissioner of Central Excise, Mumbai V/s Ms National Organic Chemicals Civil Appeals No. 1130/2003 निर्णय दिनांक 06.11.2008 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CTO(A-E) Sri Ganganagar V/s Ms. Durgeshwari Food Ltd. Sri Ganganagar S.B. Civil Sel Tax Revision Petition No. 193-194/2009 निर्णय दिनांक 08.12.2011 पारित करते समय ध्यान में नहीं लाया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं हुआ है तथा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आधार पर कर मुक्त माल के अनुपात में इनपुट टैक्स रिवर्स किया जाना न्यायोचित नहीं है।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से वैट चुकाकर खरीद किये गये नरमा, कपास का उपयोग रूई, बिनौला व बिनौला खल के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया गया है, जिसमें बिनौला खल कर मुक्त उत्पाद है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से कच्चे माल के रूप में वैट चुकाकर खरीदे गये उक्त नरमा, कपास के मूल्य पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर विचारण के पश्चात वैट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के आलोक में विक्रय किये गये कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होने एवं कर मुक्त बिक्रीत माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं होना मानते हुए इस पर रिवर्स टैक्स एवं ब्याज का आरोपण किया गया है।

8. इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2009 के विरुद्ध विभाग की

sm

ओर से प्रस्तुत की गई एस. बी. सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193-194/2009 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.12.2012 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पैरा 20 व 21 में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

“20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely "Aata", "Maida" and "Suji" manufactured out of raw material (Wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same can not be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

9. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से इस बात की पुष्टि होती है कि आगत कर का समायोजन कर योग्य माल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्चे माल के अनुसार ही स्वीकार्य है, कर मुक्त माल के उत्पादन के लिए नहीं। यदि क्रय किये गये कच्चे माल का प्रयोग कर योग्य एवं कर मुक्त माल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है तब कर योग्य उत्पादित माल के अनुपात में ही आगत कर का समायोजन देय होगा।

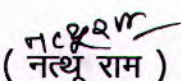
10. जहां तक विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय अभी अंतिम नहीं है क्योंकि यह निर्णय पारित किये जाते समय माननीय अपैक्स कोर्ट का Commissioner of Central Excise, Mumbai V/s Ms National Organic Chemicals Civil Appeals No. 1130/2003 निर्णय दिनांक 06. 11.2008 प्रस्तुत नहीं किया था जिसके आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस. बी. सिविल (वैट) रिवीजन पिटिशन नंबर 47/2014 विचाराधीन है, इस स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय पारित हो जाने के पश्चात उस न्यायिक दृष्टांत के तथ्य चस्प होने पर तदनुरूप

27✓

निर्णय किया जाना विधिसम्मत है। यदि माननीय उच्च न्यायालय ने या अन्य माननीय अपेक्स कोर्ट में कोई प्रकरण विचाराधीन है जिसके तथ्य समान हैं तो निर्णय उपरांत तदनुसार धारा 26 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

11. उपरोक्तानुसार अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 24.02.2011 अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 29.03.2010 की पुष्टि करते हुए राशि रुपये 4,21,286/- का इनपुट टैक्स अस्वीकार करते हुए रिवर्स किया जाता है तथा क्रय कर रुपये 45,472/- आरोपित किया जाता है। शास्ति राशि रुपये 280/- रु निरस्त की जाती है के संबंध में अपीलीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।


(नेथू राम)
सदस्य